कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर

पत्रांक 2308/ 14–1 बिजनौर दिनांक अक्टूबर, 29 ,2024

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

विषयः– जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग मे अन्तर्गत Construction of 4-laning of kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to kotdwar – pauri road in the State of Uttar pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अर्न्तगत प्रभावित 0.66 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सबंध में। प्रस्ताव संख्या–FP /UP /ROAD /157011/2022

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 952/11–सी दिनांक 08.10.2024 उपरोक्त सन्दर्भित मांगी गयी सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

Obs.No.	Observation	Reply
1	2	3
1.	Copy of working plan prescription for the forest land proposed for diversion अपलोड नही है। अतः प्रभागीय निदेशक, द्वारा सत्यापित अपलोड करे।	Copy of working plan prescription for the forest land proposed for diversion अपलोड कर दी गयी है।
2.	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा CA हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि के संबंध में शासन के पत्रांक–VIP-23/ 14-2-2019-190 जी / 2018 , दिनांक 28. 06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी/वन बंदोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र।	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर से संबंधित है।
3.	एन0पी0वी0 की गणना अपलोड नही है।	एन0पी0वी0 की गणना अपलोड कर दी गयी है।
4.	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने संबंधी प्रमाण–पत्र अपलोड नही है।	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने संबंधी प्रमाण–पत्र अपलोड दिया गया है
5.	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति (भाग–2 में) अपलोड नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति (भाग–2 में) अपलोड कर दी गयी है।
6.	प्रस्ताव की एक सिंगल पी0डी0एफ0 फाईल अपलोड नही है।	प्रस्ताव की एक सिंगल पी0डी0एफ0 फाईल अपलोड कर दी गयी है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।

सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर
की
प्रबंध योजना
(2019-20 से 2028-29 तक)

भाग 1 व 2
तथा
परिशिष्ट

अनुपम गुप्ता, भा.व.से
मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) उ0प्र0
के निर्देशन में

सुरेश चन्द्र यादव, भा.व.से
वन संरक्षक
कार्य योजना अधिकारी, मुरादाबाद
द्वारा संकलित

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर

की

प्रबंध योजना

(2019–20 से 2028–29 तक)

भाग 1 व 2

तथा

परिशिष्ट

अनुपम गुप्ता, भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) उ0प्र0
के निर्देशन में

सुरेश चन्द्र यादव, भा.व.से.
वन संरक्षक
कार्य योजना अधिकारी, मुरादाबाद
द्वारा संकलित

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

File No.-ROC/WP/16/97/1725

Dated- 28-05-2020

To.

The PCCF(HoFF),
UP Forest Department, Uttar Pradesh,
17, Rana Pratap Marg, Lucknow-226001

Sub.: **Approval of Working Plan of Social Forestry Division, Bijnaur, Uttar Pradesh for the period 2019-20 to 2028-29.**

Ref.: Letter No. 366/12-5-1-II (Moradabad), dated 21-11-2019, of PCCF Monitoring and Working Plan

Sir,

Please refer to your above-mentioned letter vide which Working Plan of Social Forestry Division Bijnaur, Uttar Pradesh for the period 2019-20 to 2028-29, was submitted to this office for approval.

The working plan of Social Forestry Division, Bijnaur, for the period 2005-06 to 2014-15, was approved vide this office letter No. ROC/WP/59/97/554 dated 05-01-2007. Thereafter, an extension proposal for the period 2015-16 to 2016-17 was submitted by the UP-Forest Department and approval was accorded by this office vide letter No. ROC/WP/69/97/FC/64 dated 06-10-2016. Further, another proposal for approval of extension of the working plan for the period from 01-10-2017 to 30-09-2019 was received in this office after the recommendation of the State Level Standing Technical Committee in its meeting held on 10-05-2018. The extension for Working Plan of Social Forestry Division, Bijnaur for the period from 01-04-2017 to 30-09-2019 was accorded vide this office letter No. ROC/WP/16/97/319 dated 04-07-2019. The proposal for approval of Working Plan of Social Forestry Division, Bijnaur for the period 2019-20 to 2028-29 for 10 years has been submitted vide the above cited letter, after the recommendation of State Level Standing Consultative Committee in its meeting held on 16-09-2019.

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

The main highlights of the proposal are following-

Working Plan Period	2019-20 to 2028-29
Working Plan Officer	Mr. Suresh Chandra Yadav, IFS under the guidance of Mr. Anupam Gupta,
Forest Area	14415.70 ha
Number of Working Circles	13

The draft Working Plan under consideration, has been examined i with the provisions of the Forests (Conservation) Act, 1980, the guideli the Ministry of Environment, Forests& Climate Change, Government o Delhi from time to time; National Forest Policy, 1988; the order of Hon court in PIL WP (C) No. 202/95 dated 12.12.96 read with WP (C) No subsequent orders passed in the different IAs by the Hon'ble Supreme National Working Plan Code, 2014.

After careful consideration of the proposal and observations sta undersigned is hereby convey the approval of Working Plan of Sc Division, Bijnaur, Uttar Pradesh, for the period 1st October2019 to 30 Se on following terms and condition:

1. All information provided subsequent to submission of working treated as part of Working Plan and would be incorporated/a approved proposal.
2. The Divisional area statement submitted by PCCF, Monitorir Plan, vide letter No. 366/12-5-1-11 (Moradabad), dated 21-11- treated as final for the area of this Working Plan.
3. This approval shall be effective from the date of issuance of th remaining period of the Working Plan.
4. A map of the Division on scale 1:15000, showing the range circles must be annexed.
5. Range wise and Working Circle wise area statement should Chapter IX.
6. No forest, bearing naturally grown trees, shall be clear felled.
7. Prior approval of Central Government is needed for carrying dead, dried, drying and uprooted trees
8. No trees irrespective of their origin, age, size, and qu forests/plantations of this division, located in the hill regions and/or removed for any purpose whatsoever from any workin

Divisional Director
Social Forest Division
BIJNOR

Forest Area	14415.79 ha
Number of Working Circles	13

The draft Working Plan under consideration, has been examined in accordance with the provisions of the Forests (Conservation) Act, 1980, the guidelines issued by the Ministry of Environment, Forests& Climate Change, Government of India, New Delhi from time to time; National Forest Policy, 1988; the order of Hon'ble Supreme court in PIL WP (C) No. 202/95 dated 12.12.96 read with WP (C) No. 171/96 and subsequent orders passed in the different IAs by the Hon'ble Supreme Court and the National Working Plan Code, 2014.

After careful consideration of the proposal and observations stated above the undersigned is hereby convey the approval of Working Plan of Social Forestry Division, Bijnaur, Uttar Pradesh, for the period 1st October2019 to 30 September 2029 on following terms and condition:

1. All information provided subsequent to submission of working plan would be treated as part of Working Plan and would be incorporated/annexed in the approved proposal.
2. The Divisional area statement submitted by PCCF, Monitoring & Working Plan, vide letter No. 366/12-5-1-II (Moradabad), dated 21-11-2019, shall be treated as final for the area of this Working Plan.
3. This approval shall be effective from the date of issuance of this letter till the remaining period of the Working Plan.
4. A map of the Division on scale 1:15000, showing the ranges and working circles must be annexed.
5. Range wise and Working Circle wise area statement should be inserted in Chapter IX.
6. No forest, bearing naturally grown trees, shall be clear felled.
7. Prior approval of Central Government is needed for carrying out removal of dead, dried, drying and uprooted trees
8. No trees irrespective of their origin, age, size, and quality from the forests/plantations of this division located in the hill regions shall be felled and/or removed for any purpose whatsoever from any working circle except

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

in accordance with the directions contained in paras (III.1). (III.2). (III.3) and (III.4) of the order dated 12.12.96 of the Hon'ble Supreme Court referred to above. The felling of trees in other area shall be reserted to as per silvicultural availability and only after a pre-prescribed test check and verification by a gazette officer not below the rank of an Assistant Conservator of Forests. No felling in areas having slope more than 30 and areas vulnerable to erosion/landslides and those having crop density more than 0.3.

9. No forests/forest land or part thereof shall be leased out or transferred to any Government Department/Organization/Industry etc. for any non-forest purpose in respect of which specific order of de-reservation or diversion of forest land in question were not issued by the State Government of UP prior to 25.10.1980.

10. No forest land or part thereof shall be leased out to anybody for carrying out pre-plantation or plantation activities without prior approval of the Central Govt. under the F(C) Act, 1980 as amended up to date.

11. In Non-Timber Forest Produce (overlapping) working circle proposed collection and disposal of fruits, seeds and other produce having economic significance should be encouraged through the JFMC's rather than other private agencies.

12. The Division in charge should complete list of prospective potential Joint Forest Management areas and work out modalities to ensure grass root level support for protection, development and improvement of forest resources and submit a report on follow up action within two years to this office.

13. Forest areas which have been notified under section 4 of the Indian Forest Act need to be finally settled and notified within the period of two years from the date of this approval.

14. New linear plantations along canal, railway line and road which have not been declared protected forests under Indian Forests Act 1927 need to be notified under relevant provisions of the IFA 1927.

15. All forest areas, which are not managed by the forest department but included within the definition of forest as per the interpretation of Hon'ble Supreme Court will be added to the list of forests mentioned in the working plan and their management should be on the basis of scientific and sustainable forest management.

16. All planting and regeneration operations shall be done either departmentally or though UP Forest Corporation and not through leasing out of areas to any private individual or organization. The species of indigenous nature shall be preferred and mono culture avoided.

17. For cultivation of Tassar and plantation of mulberry for silkworm rearing, to carried out, in forest land the guidelines of the Govt. of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India,New Delhi under para (1.5) of the consolidated Rules and Guidelines (as amended on 25.10.1992) issued under the Forest Conservation Act, 1980 as referred to above shall be kept in view and complied with in letter and spirit.

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

18. Management, conservation and development of the wildlife of the Division shall be carried out as per Wild life (Protection) Act, 1972 and guidelines issued by the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India, New Delhi from time to time as well as through regular consultations with the Chief Wildlife Warden of the State.

19. Collection and/or removal of boulders, stones, bajri and sand etc. from the beds of rivulets/nalas from any forest or forest land of the Division shall not be carried out without obtaining prior approval of the Central Govt. under the Forest Conservation Act, 1930.

20. The boundaries of the division shall be demarcated, digitized and maintained properly. Pillars should be inscribed with latitudes and longitudes of the location along with other details. The records of digitization should be updated regularly.

21. Encroachments on forest land shall be got vacated in a time bound programme and area planted up. This work shall be carried out on priority basis and report to this effect shall be submitted to this office.

22. No green tree shall be felled in the name of "petty felling" for any departmental works which shall be met from other felling approved and prescribed in the plan.

23. Grazing shall be regulated as per carrying capacity of forests and no grazing shall be allowed in regeneration areas.

24. Intensive Fire Protection Measure shall be ensured.

25. The pending Compensatory Afforestation (CA) works of the division pertaining to previous years shall be completed within next two years. Annual progress report of C.A. targets achieved against respective projects (in which final approval is accorded for diversion of forest land) should be submitted to this office.

26. Non forest land received should be transferred and mutated in the name of forest department and declared as Reserve Forest in a time bound programme and quarterly report to this effect should be submitted to this office.

27. Construction of new buildings and roads in forest area (if any) will require prior approval from competent authority under Forest Conservation Act, 1980.

28. A mid -term review of the plan shall be carried out.

29. No deviations shall be allowed from the prescriptions of this management plan read with conditions stipulated herein above without prior approval of the Central Government.

30. The working plan prescription have to be followed strictly and the system of annual updating of compartment histories and control forms should be in place.

31. The removal should not exceed the increment normally, except to facilitate natural regeneration.

32. List of Sample plots, preservation plots, seed plots etc. of the division should be annexed with the Working Plan.

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

33. The process of Forest Settlement is still not complete in the division. It sho be carried out on priority basis and report to this effect shall be submitted this office.

34. Any change in prescribed silvi.ul.ural system, clear felling of natural for formation of new felling series, large scale felling due to natural calami which cannot be adjusted against future yield etc., which permanently alter basis of management laid down in above working plan will required p sanction of this office.

35. All forest areas which is not covered by the Forest Department but inclu within the definition of forests as interpreted by Hon'ble Supreme court of I in the matter of 202/95 will be added to the list of forest mentioned i working scheme.

36. Any amendment in the working plan involving points of technical impor leading to the change in the present plan should be sent with necessary amendment to this office by PCCF (HOFF) through State Governme approval.

37. State Government shall ensure adequate budgetary provision so that wo plan prescriptions are implemented timely and effectively.

38. The Central Government reserves the right to review/modify or withdra approval at any point of time depending upon the management needs a other orders of the central government or of the Hon'ble Supreme Co India in the matter in future.

Yours sincerely,

(V. K. Singh)
Deputy Director General o
Forests (Central)

Copy to:

1. Additional Director General Forests (FC) 5th Floor, Jal Block, Indra Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi- 110003.
2. Principal Secretary Forest, Govt of U.P., Basu Bhawan, Lucknow
3. The PCCF, Monitoring& Working Plan, UP Forest Department, U Pradesh, Lucknow
4. CF, Moradabad Circle, Forest Department, Moradabad, U.P.
5. DFO, Social Forestry Division, Bijnaur, U.P.
6. Guard File

28.5.20

(V. K. Singh)
Deputy Director General
Forests (Central)

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

Recommendation Certificate

जनपदः– बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अर्न्तगत Construction of 4-lanning of kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibaban-kotdwar to Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from ch 0.000 to 5.900 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अर्न्तगत प्रभावित 4.61 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अर्न्तगत 0.66 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 अर्थात कुल 5.27 हे0 सरक्षित एवं आरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव को जनहित में स्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक :29.10.2024
स्थान : बिजनौर

ज्ञान सिंह
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

वैकल्पिक भूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

जनपदः– बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अर्न्तगत Construction of 4-lanning of kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibaban-kotdwar to Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from ch 0.000 to 5.900 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अर्न्तगत प्रभावित 4.61 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अर्न्तगत 0.66 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 अर्थात कुल 5.27 हे0 सरक्षित एवं आरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृर्क्षो के पातन की अनुमति हेतु संरक्षित व आरक्षित वन भूमि पर मार्ग का निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवागमन हेतु पहूँच मार्ग निर्माण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि के बदले अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, तथा आवेदित वन भूमि की मॉग न्यूनतम है।

दिनांक :29.10.2024
स्थान : बिजनौर

ज्ञान सिंह
प्रभागीय निदेशक
Divisional Director
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
Social Foresty Division
बिजनौर
BIJNOR

Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pckage-2 from Ch. 0 + 000 to 5+900 under forest division Najibabad. Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022

संस्तुति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, परियोजना कार्यान्वयन इकाई–नजीबाबाद द्वारा जनपद–बिजनौर में उत्तर प्रदेश राज्य अन्तर्गत कोटद्वार पौड़ी मार्ग उत्तराखण्ड से जोडने वाले रा0रा0मार्ग संख्या–119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन हेतु समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर भाग–2 की संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

NPV (NET PRESENT VALUE) CALCULATION

Project Name:- Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana'Lot-4/Pckage-2 from Ch. 0 + 000 to 5+900 under forest division Najibabad.

Registered Proposal N0	:	FP/UP/ROAD/ 157011/2022
Reserved Forest Area	:	4.61 Ha.
Protected Forest Area	:	0.66 Ha.
Eco Class of the Area	:	ECO-III
Average Density of the Area	:	>0.40
NPV Amount	:	**4.61 × 12,28,590/-**
		= **Rs. 5663799.9 /-**

Signature

Divisional Forest officer
Bijnor Forest Divison,Najibabad

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, परियोजना कार्यान्वयन इकाई–नजीबाबाद द्वारा जनपद–बिजनौर में उत्तर प्रदेश राज्य अन्तर्गत कोटद्वार पौड़ी मार्ग उत्तराखण्ड से जोडने वाले रा0रा0मार्ग संख्या–119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन हेतु प्रस्तावित 4.61 हे0 आरक्षित वन भूमि पर सम्यक विचारोपरान्त पाया गया है कि प्रश्नगत आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नही है। आरक्षित वन भूमि योजाना की आवश्यकता को देखते हुये न्यूनतम है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।

Project Director

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

संयुक्त निरीक्षण का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, परियोजना कार्यान्वयन इकाई–नजीबाबाद द्वारा जनपद–बिजनौर में उत्तर प्रदेश राज्य अन्तर्गत कोटद्वार पौड़ी मार्ग उत्तराखण्ड से जोडने वाले रा0रा0मार्ग संख्या–119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन हेतु 4.61 हे0 आरक्षित वन भूमि का प्रत्यावर्तन याचक विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त कार्य में 1238 वृक्ष बाधक हैं। इस परियोजना के 4.61 हे0 आरक्षित वन भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व एवं आरक्षित वन क्षेत्र है।

दिनांक 26-9-24

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण
परियोजना कियान्वयन इकाई–नजीबाबाद।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

[illegible], १९७० ई०

सं० ३८५५/१४-ख--२० (३०४)--६६ - अधि[illegible] सं० ४०६२/(२) १४-[illegible] (२) [illegible] १४-ख-६६, दिनांक ४ फरवरी, १९६७ तथा २३ (२) (१४-[illegible]-६७ [illegible] "क" [illegible] विशिष्ट भूमि को, इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६ सन् १९२७) के अधीन [illegible] घोषित [illegible] प्रस्तावित किया गया था,

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिए उक्त ऐक्ट द्वारा विहित अवधि समाप्त हो गयी है;

और, ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं, तथा अनुसूची "ख" में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं;

अतएव, अब, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, दिनांक ११ मार्च, १९७१ से रक्षित वन घोषित करते हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि उक्त अनुसूची "ख" में उल्लिखित गांवों को, अनुसूची में दी गयी सीमा सकबकार और रियायतें, ऐसी शर्तों में उक्त वनों के ऐसे भागों में और नियमों के अधीन जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किए जायें, बराबर मिलती रहेंगी।

अनुसूची "क"

जाफरा ऐस्ट सुरक्षित वन

स्थिति एवं क्षेत्रफल ३८१२.८८ एकड़

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा प्लाट नम्बर	क्षेत्रफल	सीमायें
१	२	३	४	५	६	७
					बी० बि० बि०	
बिजनौर	नजीबाबाद	नजीबाबाद	मोटाहा भाग	२५२/१	११ १८ ०	
				२६८	८ ११ ०	
				२७५	३७ ०० ०	
				२८७/१	३७ ०६ ०	
				३०५ और ३०६	१८० १२ ०	
				३०७/२-मि०	१०९ ०० ०	
				[illegible]	[illegible] १५ ०	
				योग	[illegible] ०२ ० अथवा ११४० . ६६ एकड़	
			[illegible] भाग	२ से ६	१५५ ०७ ०	
				७-मि०	१३ ०५ ०	
				८ से १७	६८ ०२ ०	
				१४-मि०	८६१ १५ ०	
				१९	२०७ १७ ०	
				योग	१३९६ ०५ ० अथवा ८५३.६० एकड़	
			[illegible] भाग	६४	१०५८ ०२ ०	
				६५/१ भाग	६१९ ०० ०	
				६६ से ६९	५७१ १२ ०	
				६२/१ भाग	[illegible] १२ ०	
				६६ से ६४	३ ०१ ०	
				६३ [illegible]	२ १० ०	
				योग	[illegible] १० ०	

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director
Social Forestry Division

परियोजना निदेशक /Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला बिजनौर (यू.पी.)/
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

OPPO Reno8 T 5G

२७ जुलाई, १९७० ई०

सं० १७९८/१४-ख--२०(१४८)-६९--वित्तविभाग संख्या बी-४०६३(२)/१४-ख, दिनांक ३० अगस्त, १९६०, सं० २३(२)५६/१४-ख-६६, दिनांक ४ फरवरी, १९६७ तथा सं० २३(२)८०/१४-ख-६७, दिनांक ५ जनवरी, १९६८ द्वारा, संलग्न अनुसूची "क" में निर्दिष्ट भूमि को, इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन, रक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है;

और, ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं, तथा अनुसूची "ख" में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं ;

अतएव, अब, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, दिनांक २१ जनवरी, १९७१ से रक्षित वन घोषित करते हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि अनुसूची "ख" में उल्लिखित दावों को, अनुसूची में दी गई सीमा तक अधिकार और रियायतें, ऐसी शर्तों में, उक्त वनों के ऐसे भागों में और ऐसे नियमों के अधीन जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायें, अन्यथा मिलती रहेंगी :

अनुसूची "क"

जाफराबाद ईस्ट सुरक्षित वन

स्थिति एवं क्षेत्रफल 3171.83 एकड़

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	नम्बर प्लाट नम्बर	क्षेत्रफल बी०	बि०	बि०	सीमाएं
१	२	३	४	५	६			७
बिजनौर	नजीबाबाद	नजीबाबाद	कोडिया (भाग)	२२	३१	०	०	
				२४	१२६	१७	०	
				२६	३२८	१५	०	
				३०-ए०	०	१२	०	
				३१-मि०	४	०	०	
				३२-मि० भाग	६७	१	०	
				३२-मि० भाग	१६१	३	०	
				३३	०	२	०	
				योग ..	७१९	१०	०	अथवा ४४९.६९ एकड़
			साईवाला (भाग)	४/१	४	१७	०	
				५	१९	१६	०	
				११ से १३	२१	५	०	
				१४/१	६००	१५	०	
				१५/३-मि० भाग	३२२	३	०	
				१५/३-मि० भाग	१२	१४	०	
				१६	४	२	०	
				योग ..	९८५	१२	०	अथवा ६१६.०० एकड़
			बिजरकाता (भाग)	४-मि०	१,२८२	१३	०	
				५/३-मि०	२	३	०	
				५/१-मि०	२७१	९	०	
				६/२-मि०	५९	६	०	
				७ से २२	१,५३४	४	०	
				२३/१ और २	२	१९	०	
				२४ से ४० भाग	१९६	१३	०	
				४० भाग	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

परियोजना निदेशक /Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला बिजनौर (यू.पी.)
PIU- Najibabad, Distt -Bijnor (U.P.)

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

कार्य योजना प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य योजना के विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली भांति अवलोकन कर लिया गया है। उक्त प्रस्तावित वन भूमि आरक्षित वन के जाफराबाद कक्ष सं0–4 व 5 के अन्तर्गत है। उक्त वन भूमि विविध रोपण कार्यवृत के अन्तर्गत आता है। उक्त वन भूमि पर आगामी वर्षो में कोई कार्य प्रस्तावित नही है। उक्त वन भूमि पर सागौन, रोहिणी, अलेन्थस, खैर, सीरस आदि के वृक्ष खडे है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी,
कौड़िया

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रपत्र–3

DETAILS OF WORKING CIRCLE AND IMPLEMENTATION IN EXPRIRED/ON GOING WORKING PLAN

Sr. No.	Working circle as per last working plan	Area (in ha)	Actual area worked upon (removal of timber) removal (in ha)	Working circle in proposed working plan	Proposed area (in ha)	Deviation (if any)+/-wrt 3&6	Reasons for deviation
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वेक्षण एव सीमांकन कार्यवृत्त	33399.00	—	सर्वेक्षण एंव सीमांकन कार्यवृत्त	32951.516	–447.4737	प्रस्तावित कार्ययोजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
2	साल सुधार कार्यवृत्त।	7357.80	—	साल सुधार कार्यवृत्त।	7357.80	—	
3	भूमि एव जल सरक्षण कार्यवृत्त	9467.50	—	भूमि एंव जल सरंक्षण कार्यवृत्त	9467.50	—	
4	यूकेलिप्टस कार्यवृत्त	5529.40	—	यूकेलिप्टस कार्यवृत्त	5529.40	—	
5	विविध रोपण कार्यवृत्त	11044.30	—	विविध रोपण कार्यवृत्त	11044.30	—	
6	गैर प्रकाष्ठ वन उपज (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	33399.00	—	गैर प्रकाष्ठ वन उपज (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	32951.516	–447.4737	प्रस्तावित कार्ययोजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
7	वन्यजीव प्रबन्ध (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	33399.00	—	वन्यजीव प्रबन्ध (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	32951.516	–447.4737	–"–
8	वन अग्नि सुरक्षा (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	33399.00	—	वन अग्नि सुरक्षा (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	32951.516	–447.4737	–"–
9	संयुक्त वन प्रबन्ध (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	33399.00	—	संयुक्त वन प्रबन्ध (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	32951.516	–447.4737	–"–

प्रभागीय प्रभागिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रपत्र 2(A)

DIVISION AREA STATEMENT

Sr. No.	Name of Range	Legal Status of Forest	Forest Area (in ha) as per on going / Expired Working Plan	Forest Area (in ha.) as per Proposed Working Plan	Deviation (6-5)	Reason for Deviation with supporting documents.
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	5605.80 हे0 –	5413.674हे0 –	-192.1257	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
2	साहनपुर	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	8105.80 हे0 –	8105.781हे0 –	-	–
3	कौड़िया	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	5894.60 हे0 +977.30 6871.90 हे0	5908.425हे0 +977.30 6885.725हे0	13.825 -	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
4	बढापुर	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	7031.70 हे0 –	6761.693हे0 –	-254.165 -	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
5	साहूवाला	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	5783.80 हे0 –	5784.653हे0 –	-14.989 -	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
		कुल योगः–	33399.00 हे0	32951.516 हे0	-447.4737	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

	साहनपुर	हल्दूखाता–2	50.00	
		हल्दूखाता–6	20.00	
		हल्दूखाता–4	20.00	
		साहनपुर–4	50.00	
		हल्दूखाता–1	10.00	
		साहनपुर–3अ	10.00	
		साहनपुर–8	40.00	
		ढाका–1	10.00	
		ढाका–2	20.00	
		योग–	100.00	
	राजगढ़	साहनपुर–2	20.00	
		साहनपुर–5	40.00	
		साहनपुर–6	160.00	
		योग–	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त		
2022–23	कौड़िया	जाफराबाद– 6अ	20.00	
		मोहनवाली–3अ	10.00	
		योग–	30.00	रिक्त
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	
	राजगढ़	साहनपुर–2	21.00	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त		
2023–24	कौड़िया	जाफराबाद–10	10.00	रिक्त
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	
2024–25	कौड़िया	जाफराबाद–9	08.00	रिक्त
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	

नोट–वनावृद्धि एंव वनो की संघनता हेतु और आवश्यकतानुसार यथा समय मौके की स्थिति एंव बजट की उपलब्धता के अनुसार उचित प्रजातियों के रोपण हेतु क्षेत्र लिये जा सकेगें।

13.8.1 यूकेलिप्टस कार्यवृत में वार्षिक पातन कूपों में उल्लिखित इस कार्यवृत के क्षेत्र, जिनमें जड़ खुदान के पश्चात उन्हीं वर्षों में रोपण किया जाना है।

13.8.2 यूकेलिप्टस कार्यवृत के वार्षिक पातन कूपों में उल्लिखित इस कार्यवृत के क्षेत्र, जिनमें कॉपिस पातन के पश्चात मात्र उन क्षेत्रों का परिपालन कार्य किया जाना है।

13.10 रोपण विधि–

13.10.1 यांत्रिक विधि–

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग भजीबाद

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

OPPO Reno8 T 5G

	साहनपुर	साहनपुर–13	14.00	रिक्त
	राजगढ़	साहनपुर 4अ	50.00	–
	बढापुर	बढापुर – 4	30.00	–
		ढकरिया– 5	52.00	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	जड खुदान के पश्चात् यूके0क्लोन का वृक्षारोपण होगा।
2021–22	कौड़िया	जाफराबाद– 2 अ	10.00	–"–
		जाफराबाद– 3	10.00	
		योग–	20.00	
	साहनपुर	साहनपुर–हल्दूखाता–5	10.00	
		साहनपुर–13	40.00	
	राजगढ़	साहनपुर 4 अ–1	20.00	
	बढापुर	ढकरिया–4	10.00	
		ढकरिया–5	10.00	
		योग–	20.00	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
		रिक्त	रिक्त	–
2022–23	कौडिया	साहनपुर कक्ष–12	30.00	रिक्त
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2023–24	कौडिया	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2024–25	कौडिया	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग भजीपुरा

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

-----0000-----

यदि उक्तानुसार प्रयास किये जायें तो वन्य प्राणियों के संवर्धन एवं सरक्षण में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।

16.13.2. **वन्य जीवों का भोजन प्रबन्ध**– वन्य जीवों के लिये उनके प्राकृतिक वास को बनाये रखा जाये तो सदैव उनके भोजन की व्यवस्था हो सकती है। इसके लिये निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिये–

1. छोटे–छोटे टुकड़ों या पट्टियों में मिश्रित प्रकार की भोज्य/चारा प्रजातियों का रोपण किया जाये तथा फल दार प्रजातियों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाये। वन्य जीवों हेतु भोज्य/चारा प्रजातियों में गूलर, पाकड़, बरगद, पीपल, सहजन, आँवला, अगस्त, बहेड़ा, हर्रा, महुआ, बेर आदि प्रमुख हैं।
2. विद्यमान अधोवितान में उगने वाली झाड़ियों जैसे–बेर, करौंदा, झड़बेरी आदि, को बनाये रखा जाये ताकि वन्य जीवों को उनसे भोजन, संरक्षण एवं आवरण की प्राप्ति हो सके ।
3. पानी के अन्दर पायी जाने वाली वनस्पति को बनाये रखा जाये ताकि पानी में रहने वाले वन्य प्राणियों जैसे मछली आदि को आहार की प्राप्ति हो सके।
4. आवरण में जितनी विविधता होगी उतना ही वन्य जन्तु सुरक्षित रहेंगे। अतः जैव विविधता को बढ़ाने का प्रयास किया जाये।

प्रभाग में वन्य जीव प्रबन्ध के दृष्टिकोण से आवश्यक कार्यो का समावेश करते हुये रू0. 798.00 लाख की एक पंचवर्षीय योजना वर्ष 2004 में " हाथी परियोजना " के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित की गई है। इस योजना में मुख्य रूप से निम्न कार्य प्रस्तावित हैं–

1. वृक्षारोपण/चौहड़ विकास
2. वाटर होल्स का निर्माण।
3. मानव वन्य जीव द्वन्द को नियमित /कम करने के उद्देश्य

(i) सौर ऊर्जा तार बाड़ किया जाना ।

(ii) कृषिकों को हुई हानि के विरूद्ध क्षति पूर्ति।

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

OPPO Reno8

सारणी 15.6

औषधि प्रजातियों के रोपण कूप

रोपण वर्ष	कक्ष का नाम	कार्यवृत्त	क्षेत्रफल (हे0)
2013–2014	हल्दूखाता–2	विविध रोपण	5.0
2014–2015	साहनपुर–7 अ	विविध रोपण	5.0
2015–2016	मोहनवाली–4	विविध रोपण	5.0
2016–2017	साहनपुर–6	विविध रोपण	5.0
2017–2018	जाफराबाद–5	विविध रोपण	5.0
2018–2019	साहनपुर–8अ	विविध रोपण	5.0
2019–2020	साहनपुर–9	भूमि एवं जल संरक्षण	5.0
	योग		35.00

क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार ही रोपित की जाने वाली स्थानीय जड़ी बूटी की प्रजाति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। प्रभाग में रोपित की जा सकने वाली प्रजातियों में मुख्य है– आँवला, बेल, बहेड़ा, हरड़, लसोड़ा, अश्व गंधा, सर्पगंधा, घृत कुमारी, ब्राहमी, कालमेघ, सतावर, पीपली आदि।

प्रभाग की दो रेंजो में एक–एक जड़ी–बूटी पौधशाला स्थापित की जायेगी। इस पौधशाला के लिये पृथक से नये स्थलों का चयन करने की आवश्यकता नहीं है वरन् प्रभाग में पूर्व से स्थापित पौधशालाओं में ही उपलब्ध स्थान का उपयोग किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर पुरानी पौधशालाओं का विस्तार भी किया जा सकता है। यदि प्रभागीय वनाधिकारी नयी पौधशाला स्थापित करना चाहें तो इसमे कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

15.13.7–निर्यात हेतु प्रतिबन्धित जड़ी–बूटियाँ–पूर्व में हुये अनियंत्रित विदोहन के कारण वर्तमानमें अनेकों औषधीय पौधे लुप्त होने की कगार पर हैं। परिणामतः महानिदेशक, विदेश व्यापार (Diector General, Foreign Trade) द्वारा ऐसे 46 लुप्त प्रायः पौधों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। भविष्य में इन पौधों तथा इनके उत्पादों के निर्यात की अनुमति

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग बिजनौर

साहूवाला	साहूवाला–8	नरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 मे निर्मित तालाब
कौडिया	जाफराबाद–10,	नरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 मे निर्मित तालाब
	जाफराबाद–9	हाथी परियोजना के अन्तर्गत निर्मित पक्का वॉटर होल
राजगढ	साहनपुर–4 (अ)	हाथी परियोजना के अन्तर्गत निर्मित तालाब

वनों में स्थित अधिकांश प्राकृतिक जल स्रोत गर्मियों में सूख जाते हैं जिससे वन्य प्राणियों के लिये गर्मियों में जल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में वन्य जीव पानी व भोजन की तलाश में अपने प्राकृतिक वास स्थलों के बाहर गावों/कस्बों में निकल जाते हैं और इस प्रकार उनके अवैध शिकार की सम्भावनायें बढ़ती हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुये तथा उक्त कारण वश होने वाले वन्य जीवों के अवैध शिकार को नियन्त्रित करने के लिये वन क्षेत्रों में अधिक से अधिक वाटर होल्स व चैकडैम बनाने की आवश्यकता होती है।

वाटर होल्स के निर्माण के समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है–

1. यथा सम्भव मिलन रेखा (जहाँ पर दो परिस्थान मिलते हैं) जैसे बाग, चारागाह, नदियों, पानी के गड्ढे, दलदल भूमि तथा वन क्षेत्र की सीमाओं को विकसित किया जाये।
2. वनों को आग से बचाया जाये क्योंकि आग से ह्यूमस, वन्य जन्तुओं के भोजन ,आश्रय स्थल एवं कभी–कभी इनके शावकों का विनाश हो जाता है।
3. वाटर होल्स ऐसे स्थान पर बनाये जाने चाहिए जहाँ पर पानी के निरन्तर बने रहने वाले प्राकृतिक स्रोत हों ताकि इन वाटर होल्स को इनसे जोड़ा जा सके और इस प्रकार ग्रीष्म काल में भी इन वाटर होल्स में पानी की उपलब्धता बनायी रखी जा सके।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग बिजनौर

OPPO Reno8 5G

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एव राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई - नजीबाबाद | Project Implementation Unit-Najibabad
म0 न0-3ए/2, प्रथम तल, सिद्धबली विहार कॉलोनी, कोतवाली रोड, नजीबाबाद, बिजनौर (उ0प्र0) | H.No,-3A/2, 1st Floor, Siddhbali Vihar Colony, Kotwali Road, Najibabad, Bijnor (UP)
दूरभाष/Phone : +91-1341-230162 | ई-मेल/E-mail:piunazibabad@nhai.org | वेबसाइट /Website : www.nhai.org

NHAI/PIU-NBD/NH-119/77009/Forest (Bijnor)/KTW BYP/2023/ 1824 Dt.17.10.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग
नजीबाबाद।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।

विषयः जनपद– बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4 laning of Kotdwar Bypass of NH-119 connecting Najibabbad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri Road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2 from Ch. 0+000 to 5+900 तक चौड़ीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27हे0 संरक्षित एवं आरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0– FP/UP/ROAD/157011/2022

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 952/11–सी– FP/UP/ROAD/157011/2022 लखनऊ, दिनांक 08.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 952/11–सी– FP/UP/ROAD/157011/2022 लखनऊ, दिनांक 08.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त कमियों/अभिलेखों के अभाव से अवगत कराया गया है तथा इंगित कमियों का निराकरण कर ऑनलाइन प्रस्ताव परिवेश पोर्टल 1.0 में अपलोड कर नोडल अधिकारी के पोर्टल पर प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में सन्दर्भित पत्रांक के माध्यम से बिजनौर सामाजिक वानिकी प्रभाग व बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद से सम्बन्धित ऑनलाइन पार्ट–1 में पायी गयी कमियों का निराकरण का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम सं0	ऑनलाइन पार्ट–1 में पायी गयी कमी का विवरण	निराकरण
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु परियोजना में दी गई गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाईल, जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं टोपोशीट आदि पार्ट–1 में अपलोड नहीं है।	परिवेश पोर्टल पर Complaint ID:TIC-24011480 में MoE&F,CC के द्वारा उपलब्ध कराये गये Resolution (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार *"As It's a Central Govt Agency. In PARIVESH 1.0 NFL for such cases are not applicable & Cannot be filled by UA. DFO can only fill DFL details."* अतः विषयांकित प्रस्ताव परिवेश 1.0 में होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्बन्धी अभिलेख अपलोड किया जाना संभव नहीं है। परन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के वांछित अभिलेख Additional information में अपलोड कर दिये गये हैं।
2	परियोजना में दी गयी गैर वनभूमि के सम्बन्ध में वन विभाग के नाम दर्ज खतौनी अपलोड नहीं है।	उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि के सम्बन्ध में वन विभाग के नाम दर्ज खतौनी अपलोड कर दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

OPPO Reno8 T 5G

3	प्रस्ताव के साथ Entire Tree Transplantaion (ETT) से सम्बन्धित वचनबद्धता/प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपलोड नहीं है।	Entire Tree Transplantaion (ETT) से सम्बन्धित वचनबद्धता/प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः विषयांकित प्रस्ताव में ऑनलाइन पार्ट–1 में पायी गयी कमियों/EDS का निराकरण उपरोक्तानुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा कर दिया गया है। ऑनलाइन पार्ट–2 में पायी गयी सभी कमियों का निराकरण सम्बन्धित वन प्रभाग के माध्यम से किया जाना है। अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालय से सम्बन्धित त्रुटियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

भवदीय

(सरफराज–उर–रहमान)
परियोजना निदेशक
प0का0ई0–नजीबाबाद

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

Welcome to PARIVESH | Welcome to PARIVESH

PARIVESH Complaint Management System

COMPLAINT DETAILS

Complaint Details	Complaint Details	Complaint Issue Details	Feedback	Uploaded Screenshot
Complaint ID: TC/24011480 Proposal No: 906410 Date: 27-05-2024 01:47 PM	Issue Type: FORM-B Clearance Type: Forest Clearance	Mobile No & Email: 9068107569 dfo_lansdowne@division.com State & User Type: UTTARAKHAND Authority	ISSUE Regarding online proposal number FP/UK/HOA/45326/2020 It is requested that in part 2 of the said proposal earlier degraded forest was selected for compensatory plantation, but as per the procedure provided by the nodal office under the new Forest Conservator Act, non forest land has been directed to be selected for the said purpose hence non forest land has been selected According to which, revised information related to compensatory plantation has to be uploaded in part 2, which is not being done Please guide in the matter	N/A

Complaint Resolution Details

Complaint Details	Resolved Date	Resolved Remarks	Uploaded Screenshot(Resolve)	Issue Sub Category
Complaint ID: TC/24011480 Date: 27-05-2024 01:47 PM	31-01-2024 03:56 PM	As it's a Central Govt. Agency in PARIVESH 1.0, NFL for such cases are not applicable & Cannot be filed by UA. DFO can only fill DFL details.	N/A	KT Required

Query Details

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Oct/2024 13:39:28

ग्राम कमांक : 111491 ग्राम का नाम (परगना) : सबलगढ (नजीबाबाद) तहसील : नजीबाबाद जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1

(1) खाता संख्या : 00713

श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व :
1215घ	1) देड//			[illegible]	17.9560	1) 1/1	1) 17.9560	0.00
							17.9560	

कुल गाटा - एक कुल क्षेत्रफल- एक मात्र दशमलव नौ पाँच छः शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - एक मात्र दशमलव नौ पाँच छः शून्य (हेक्टेयर)

क्रमान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

09/Oct/2024 13:39:28

ग्राम क्रमांक : 111491 ग्राम का नाम (परगना) : सक्लगढ़ (नजीबाबाद) तहसील : नजीबाबाद जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00713

	(6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)					

1) पुनर्स्थापना : जिलाधिकारी महोदय बिजनौर द्वारा दिनांक 17.07.2024 को आदेश किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-१ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20 (5)/ 2016, दिनांक 03 जून 2016 शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 2012) उत्तर-प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथासंशोधित की, धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 एवं अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां, उन देशाओं में राज्य सरकार के मेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमयकर उपलब्ध कराने के प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुऐ गाँव सक्लगढ़ परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के गाटा सं0 1215घ रकबा 5.270 हे0 श्रेणी-6(4) जो अन्य कारणों से अकृषिक हो, के अन्तर्गत "टैंड" की भूमि को, जो अब तक, सक्लगढ़ गाँवसभा में निहित थी, पुनर्गहीत कर, फिर से अपने अधिकार में लेकर, वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर, प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर, वन प्रभाग, नजीबाबाद को राष्ट्रीय राजमार्ग-119 के कोटद्वार बाईपास के किलोमीटर 0.0000 से 0.700 तक 4-लेन निर्माण हेतु 5.27 हेक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने में प्रभावित कुल 5.270 हेक्टेयर, वन विभाग की, लोक उपयोगिता की परियोजना कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के समतुल्य गाँव सभा "टैंड" भूमि, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु, वन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वनप्रभाग, नजीबाबाद के पक्ष में निःशुल्क पुनर्गहीत कर उपलब्ध करायी जा रही है। उपरोक्त आदेश द्वारा परगना/तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर की गाँवसभा सक्लगढ़ के गाँव सक्लगढ़ परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के गाटा सं0 1215घ रकबा 5.270 हे0 श्रेणी-6(4) जो अन्य कारणों से अकृषिक हो, के अन्तर्गत "टैंड" की भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग-119 के कोटद्वार बाईपास के किलोमीटर 0.0000 से 0.700 तक 4-लेन निर्माण हेतु 5.270 हेक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने में प्रभावित कुल 5.270 हेक्टेयर, वन विभाग की, लोक उपयोगिता की परियोजना कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के समतुल्य गाँव सभा भूमि, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु, वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद के पक्ष में, भूमि निःशुल्क पुनर्गहीत की जा रही, उपरोक्त भूमि का, उपलब्ध कराये जाने के दिनांक से, उत्तर-प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथासंशोधित, की, धारा-59 अन्तर्गत यथानिर्दिष्ट प्रबन्धन और नियन्त्रण, अब वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का होगा। (डिजिटल हस्ताक्षर : MUKESH SINGH/08-08-2024)

(17) भूमि [illegible]

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

साईट स्पेशिफिक प्लान
सबलगढ 11 का
क्षेत्रफल 5.27 हे0

वित्तीय वर्ष 2024–25 से
2035–36 तक

कार्यदायी प्रभाग–राजगढ रेंज
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

(मुरादाबाद क्षेत्र,मुरादाबाद)

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR.

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

योजना के चयनित क्षेत्र का विवरण व जलवायु

क0सं0	विवरण	विवरण
1	क्षेत्र का नाम	सबलगढ 11
2	क्षेत्रफल हे0 में	5.27 हे0
3	रेंज का नाम	राजगढ रेंज
4	प्रभाग का नाम	बिजनौर वन प्रभाग,नजीबाबाद
5	भूमि की वैधानिक स्थिति	ग्राम समाज भूमि
6	योजना अवधि	2024–25 स 20–18
7	विकास खण्ड व तहसील	नजीबाबाद
8	जनपद का नाम	बिजनौर
9	कार्यवृत का नाम	मिश्रित वृक्षारोपण
10	वन का प्रकार	ग्राम समाज भूमि
11	स्थिति	राजगढ रेंज मुख्यालय से 8 कि0मी0 एवं नजीबाबाद से लगभग 27 कि0मी0
12	जलवायु	मैदानी भागों से समतुल्य शुष्क
	क –क्षेत्र की भौगालिक स्थिति	तराई भावर पटटी
	ख – मृदा का प्रकार	रेतीली
	ग –पी0एच0मान	6.5
	घ– मृदा की गहराई	72.90 मीटर
	ग– अक्षांस देशान्तर	एन0 29'.715407 ई0 078'.208584
13	वार्षिक औषत वर्षा	1042.12 मि0मी0
14	आर्दता	70.34
15	क्षेत्र का ढाल	क्षेत्र का 70 प्रतिशत ढाल पूरब से पश्चिम की ओर

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

2– प्रभाग का विवरण

प्रभाग का समस्त वन क्षेत्र उत्तर एवं पश्चिम में उत्तरांचल राज्य के पौड़ी एवं हरिद्वार जनपद से एवं पूर्व में बिजनौर जनपद के शेष भाग से घिरा हुआ है। प्रभाग का क्षेत्र सामान्यता मैदानी है किन्तु शिवालिक की पहाडियों के तल पर स्थित होने के कारण कुछ भाग असमतल एंव भावर की है। शेष भाग तराई– भावर की पटटी बनाता है। यह एक वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। यहां बाघ, तेंदुआ, हाथी, चीतल, जंगली सुअर, सांभर आदि वन्य जीव पाये जाते है। यह वन प्रभाग उत्तरांचल राज्य के कालागढ़ टाईगर रिजर्व तथा बाघों के लिये उपयुक्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बाघों का अभ्यागवन रहता है। उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त उत्तर प्रदेश का यह एक मात्र प्रभाग है जहां पर हाथियों की संख्या काफी है तथा भारत सरकार के इस प्रभाग को शिवालिक हाथी रिजर्व में सम्मिलित किया है।

प्रभाग को प्रबन्धन की दृष्टि से 5 रेंजों में विभक्त किया गया है। इसमें 32 बीटें है। यह प्रभाग वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये भी अति संवेदनशील है तथा राज्य के संवेदनशील वन प्रभागों की सूची में आता है। अतः वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा की ओर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता प्रभाग में रही है। सवेंदनशीलता का प्रमुख कारण है कि प्रभाग की सीमा पर काश्त है तथा प्रभाग का क्षेत्र सघन न होकर बिखरा हुआ है। बीच में कास्त के प्लाट विधमान है। अधिकांश स्थानीय जनता गरीब तथा वनों पर आश्रित है।

नजीबाबाद वन प्रभाग की वन सीमा पर लगभग 60 से अधिक गांव एवं नजीबाबाद, नगीना, कोटद्वार, बढापुर आदि कस्बें स्थित है।

वनों से होने वाले मुख्य लाभों/ महत्व का अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है। जनपद के अन्तर्गत नगीना व नजीबाबाद शहर जो के वन प्रभाग की सीमा से लगे हुए हैं, प्रकाष्ठ आरक्षित उधोगों हेतु शहर होने के कारण भी वन क्षेत्रों में अवैध कटान हेतु काफी दबाव रहता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों के वन क्षेत्रों में अवैध कटान हेतु काफी दबाव रहता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों के वन माफियों निजी स्वार्थो की पूर्ति हेतु प्रभाग में अवैध पातन,अवैध खनन एवं अतिकमण जैसे वन अपराध करते है।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, बिजनौर

यह जनपद विश्व प्रसिद्ध कार्बेट टाईगर रिजर्व एवं राजाजी नेशनल पार्क से लगा हुआ है तथा हमारे आयुर्वेद की प्राचीन सभ्यता के गढ हिमालय की तलहटी में हरिद्वार, ऋषिकेश एवं कोटद्वार के समीप स्थित है। इस जनपद में वनों के महत्व को देखते हुए दो वन प्रभाग स्थापित हैं। एक बिजनौर वन प्रभाग जिसका मुख्यालय बिजनौर है। बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद का कार्य क्षेत्र तहसील नजीबाबाद, नगीना एवं धामपुर में है। सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर का कार्य क्षेत्र इस प्रभाग के नियन्त्राणाधीन आरक्षित वन क्षेत्र के बाहर अमानगढ आरक्षित वन क्षेत्र सहित जनपद की सभी तहसीलों में है।

बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद के नियन्त्रणाधीन वन क्षेत्र का क्षेत्रफल 32951.516 हेक्टेयर है तथा वन क्षेत्र में मुख्य वृक्ष प्रताति साल, सागौन, शीशम, खैर आदि है तथा वन्य जीव प्रजाति में बाघ, तेन्दुआ, हाथी, हिरन आदि मुख्य है। यहॉ के वनों में बहुमूल्य औषधीय प्रजातियॉ एवं जडी बूटियॉ यथा हरड़ बहेड़ा, ऑवला, जामुन, अर्जुन, अमलतास, बेल, ब्राम्ही, पीपल आदि प्रचुर मात्रा में हैं। प्रभाग में हॉथियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस प्रभाग को शिवालिक एलीफेन्ट रिजर्व घोषित किया जा चुका है ।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

योजना से पूर्व की स्थिति

वार्णित क्षेत्र एन0एच0आई द्वारा स्थानीय राजस्व प्रशासन से हस्तान्तरित की जा रही है। जो बंजर भूमि है। जिसके हस्तांन्तरण की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य

क0स0	कार्य का विवरण	समय सारणी
1	लैन्टानायुक्त झाडी कटान कार्य	फरवरी 2025
2	माउण्ड निर्माण (उपरी व्यास 0. 90 मी0 निचला व्यास 2.10 मी0 ऊँचाई 60 मी0)	फरवरी व मार्च 2025
4	पौधारोपण कार्य	माह – जुलाई 2025
5	सिचाई कार्य	वर्षात के उपरान्त माह मार्च 2026 तक समय समय पर 9 बार
6	निराई गुडाई	वित्तीय वर्ष 2025–26 में अगस्त से नवम्बर 2025 तक 3 बार
7	पौधों की प्रूनिग	वित्तीय वर्ष 2025–26 में दो बार
8	अग्नि से सुरक्षा कार्य	माह फरवरी 2026 से मार्च 2026 तक
9	रख रखाव	वनीकरण का रख रखाव आगामी दस वर्ष यथा 2026–27 सें 2035–36 तक किया जाएगा ।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

3–योजना के उद्देश्य :–

1– प्रस्तावित भूमि बंजर एंव वनावरण रहित होने के कारण अतिक्रमण की सम्भावना के दृष्टिकोण से वृक्षारोपण अनिवार्य है।

2–वनावरण को बढ़ाना।

3–स्थानीय ग्रामीणों / श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना।

4– परियोजना क्षेत्र में भूमि एवं मृदा संरक्षण को रोकना।

5– पर्यावरण का विकास एंव संरक्षण

6– वन्य जीवों के प्राकृतवासों का सुधार करना।

7– वन क्षेत्र से अधिक से अधिक ईंधन हेतु जलौनी लकडी की उपलब्धता बढाना।

8– मानव वन्य जीव द्वन्द्व की रोकथाम।

9– वन तथा वन्य जीवों के बावत आम नागरिकों में जनजागरूकता बढाया जाना।

10–वन्य जीवों को उनके प्राकृतवासों के पास रखने हेतु प्राकृतिक जलश्रोतों का विकास करना

11–ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पशुओं के लिये अधिक से अधिक घास, चारापत्ती, उपलब्ध कराना ।

13–जैव विविधता संरक्षण।

14–प्राकृतिक सम्पदा में बढोत्तरी ।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible]

चयनित क्षेत्र के मापदण्डों के अनुरूप स्थिति

1– प्रस्तावित क्षेत्र जलभराव एंव गंगा के तटीय क्षेत्र में स्थित है तथा मिटटी पर्याप्त मात्रा में गहरी है ।

2– प्रस्तावित भूमि बंजर है । बंजर भूमि का समुचित उपचार कर वृक्षारोपण हेतु तैयार किया जायेगा। जिससे वृक्षारापेण की सफलता मानक के अनुरूप हो सके।

3– वन उपज के निस्तारण हेतु बाजार की उपलब्धता है ।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

जोखिम की विवेचना एवं उपाय

क्षेत्र जलभराव एंव गगा के तटीय क्षेत्र होने के कारण बरसात मानसून में भूमि कटाव होता रहता है जिसके उपचारार हेतु प्रस्तावित भूभि के चारो तरफ वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु पत्थर बाडी का निर्माण किया जायेगा एंव पत्थर बाडी के बहारी क्षेत्र में आईपोमियम एंव वाइटैक्स की कटिंग लगवाकर क्षेत्र को उपचारित किया जायेगा जिससे भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकें।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

योजना के कियान्वन की विधि

1–अग्रिम मृदा कार्य– इस क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य प्रभाग की प्रचलित कार्य योजना में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।

2– क्षेत्र की सुरक्षा – दूब क्षेत्र होने के कारण वर्षात में अत्यधिक पानी भर जाता है जिसके कारण इस क्षेत्र में पौधारोपण कार्य करने पर प्रस्तावित रोपित पौध पानी में जलमग्न होने के कारण पौधो की क्षति होने की अत्यधिक सम्भवना रहती है, जिसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से रोपण क्षेत्र के चारो तरफ पत्थर बाडी (आर0आर0 डाई स्टोन वॉल) का निर्माण प्रस्तावित किया जाता है।

3–भूमि की तैयारी –क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौडी अग्नि रेखा बनाई जाएगी जो घास एवं झाडियो से सदैव साफ रखी जएगी । क्षेत्र में ऊपरी व्यास 0.90 मीटर आधार 2.10 मीटर ऊँचाई 0.60 मीटर साइज माउण्ड 625 प्रति हेक्टर की दर से बनाये जायेगे।

4–रोपण कार्य – मानसून की अच्छी वर्षा होते ही माह जुलाई 2025 में रोपण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा । स्वस्थ एवं निर्धारित मापदण्ड की पौध माउण्ड में रोपित की जाएगी । रोपण के बाद माउण्ड की मिटटी भली प्रकार से दबाकर पौधों के चारो ओर 1 मीटर व्यास के थावलें बनाये जाएगें ।

5–सिचाई कार्य– वर्षा के उपरान्त वनीकरण में आवश्यकतानुसार समय समय पर किराये के टैंकर द्वारा पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 9 बार किया जाना प्रस्तावित है ।

6–निराई गुडाई एवं घास कटान कार्य –माह अगस्त से नवम्बर तक 3बार निराई गुडाई एवं थावला बन्दी एवं मलचिंग कार्य किया जाएगा । खरपतवार नष्ट करने के लिए माह सितम्बर में झाडी कटान फुकान कार्य किया जाएगा ।

7–अग्नि सुरक्षा कार्य – वनीकरण की सुरक्षा हेतु फायर लाईन की घास कटाई माह फरवरी में कराई जाएगी एंव फायर वाचर रखे जायेगे तथा अग्नि दुर्घटना के रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार एवं जनजागरूकता के कार्य किए जाएगें ।

8– वन रक्षक एंव वन दरोगा चौकी का निर्माण– प्रस्तावित क्षेत्र के निकटतम उपर्युक्त क्षेत्र में बीट क्षेत्र की देख–रेख एंव सुरक्षा हेतु 1 वन रक्षक एंव वन दरोगा चौकी का निर्माण किया जायेगा।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

9–सिंचाई हेतु सौलर वॉटर पम्प की स्थापना:–प्रस्तावित क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जिस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में पौधो की सिचाई हेतु टैंकर आदि से पानी नही पहुचाया जा सकता हैं, इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में ग्रीष्मकाल एंव आवश्यकातानुसार रोपित पौधो की सिचाई हेतु सौलर वॉटर पम्प स्थापित किया जायेगा।

10–पक्के वाटर होल का निर्माण–प्रभाग का समस्त वन क्षेत्र तराई भावर होने के कारण पानी नही रूकता है । गर्मी के समय जो प्रार्कतिक रूप से पानी के सचय स्थल वन क्षेत्रो मे उपलब्ध है वह सुख जाते है तथा हाथी एंव अन्य वन्य जीव पानी की तालाश में वन्य क्षेत्र से बाहर निकल जाते है जिससे वन्य प्रार्णियो से जान माल का खतरा बना रहता है तथा अनेको घटनाये मानव /पशु से वन्य जीवो के द्वन्द्व की होती रहती है। इस हेतु प्रस्तावित रोपण क्षेत्र के समीप पक्के वाटर होलो के निर्माण का प्राविधान किया जा रहा है, ताकि मानव वन्य जीव द्वन्द्व को कम किया जा सके।

11– पक्के वाटर होल में पानी की व्यवस्था हेतु सोलर टूयेबल समरसेबल बोरिंग का निर्माण कार्य:–गर्मी के समय प्राकृतिक रूप से पानी के सचय स्थल सूख जाते है तथा वन्य जीव पानी की तलाश में ग्रामीण इलाको में भटक जाते है। इसके निदान हेतु यह प्राविधानित किया जा रहा है कि पक्के वाटर होलो में पानी की व्यवस्था हेतु सोलरी टूयेबल बोरिंग का निर्माण किया जाये ताकि वन्य जीवों को पानी सुलर्भ हो सके।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

अनुश्रवण

प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षारोपण के उपरान्त सफलता सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किए जाएगी ।

1– वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की प्रत्येक त्रैमास पर ऊँचाई एवं गोलाई की नपत कर रिकार्ड रखा जाएगा । इन आकडों की तुलना सामान्य वनीरकरण के आंकडों से की जाएगी ।

2–वर्ष वार वनीकरण की सफलता प्रतिशत निकाली जाएगी व रिकार्ड में रखा जाएगा ।

3–क्षेत्र की जैवित भिन्नता में परिवर्तन के आंकडे एकत्र किये जाएगें ।

4–अग्नि दुर्घटनाओं एवं चुगान के आकडें एकत्र किये जाएगें ।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

कैम्पा योजना का माडल प्राक्कलन 5.27 हेक्टर अग्रिम मृदा कार्य का
(1100' पौध रोपण प्रति हे0 की दर से)

क्षेत्र का नाम– सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या–5797

क0 स0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
अग्रिम मृदा कार्य :–						
1	क्षेत्र का सर्वे एंव सीमांकन	प्रति है0	5.27	56.05	295.3835	CCF SF Letter No. 362
2	लैण्टानायुक्त झांडी एवं घास की सफाई का कार्य करना	प्रति है0	5.27	7215	38023.05	CF 2
3	माउण्ड का पक्ति बन्धन चूना रस्सी का मूल्य सहित	प्रति माउण्ड	5797	0.30	1739.1	CF 3
4	माउण्ड निर्माण (उपरी व्यास 0.90 मी0 निचला व्यास 2.10 मी0 उॅचाई 60 मी)	प्रति है0	5797	57.49	333269.5	CCF SF Letter No. 362
5	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु पत्थर बाडी का निर्माण 1.20X0.80X 1.00)	प्रति मी0	800	390.95	312760	CCF SF Letter No. 362
6	औजारों का कय एवं मरम्मत	प्रति है0	1	167.71	167.71	8
7	अन्य व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	3745.226	
	योग– अग्रिम मृदा कर्य				690000	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सबलगढ़ रेंज

उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

कैम्पा योजना का माडल प्राक्कलन 5.27 हेक्टर वनीकरण कार्य का
(1100 पौध रोपण प्रति हे0 की दर से)

क्षेत्र का नाम– सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या–5797

क0स0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
वनीकरण कार्य–						
1	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	प्रति पौध	5971	70	417970	CCFSF Letter No. 362
2	पौध ढुलान (10 कि0मी0 से 20 कि0मी0) 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	5971	23	137333	CCFSF Letter No. 362
3	पौध का स्थानीय ढुलान	प्रति पौध	5797	7.8	45216.6	CCFSF Letter No. 362
4	पौधारोपण एक मीटर व्यास का थॉवला बनाई एंव तुरन्त सिचाई सहित कैरी बैग/बडा थैला 12 कुट ऊँची पौध हेतु	प्रति पौध	5797	16.1	93331.7	CF 16
5	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु निर्माण की गई पत्थर बाडी के बाहर चारो तरफ क्षेत्र में 15 मी0 चौडाई तक भूमि कटाव हेतु बाईटैक्स एंव आईपोमियम की कंटिग लगाना मय कय	प्रति हजार	40000	1000.5	40020	CF 67
6	रोपित पौधों की निराई–गुडाई एंव थावला बंदी कार्य तीन बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.43	CF 17
7	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 9 बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	52173	1.36	70955.28	CCFSF Letter No. 362
8	पौधो की अग्नि से बचाव हेतु वर्ष में 1 बार रोपण क्षेत्र में लैन्टानायुक्त झाडी काटकर नियत्रित दहन कार्य करना	प्रति पौध	5.27	396.52	2089.6604	CF 40
9	पौधो की प्रुनिंग का कार्य करना दो बार	प्रति पौध	11594	1.14	13217.16	CF 27
10	पौधो की सुरक्षा हेतु एक श्रमिक	प्रति मा0 दि0	312	230	71760	CF 28
11	वृक्षारोपण बोर्ड बनाना 4X3 = 12 वर्ग फिट	प्रति वर्ग फिट	12	300.3	3603.6	CF 23
13	झोपडी का निर्माण	प्रति	1	4662.2	4662.2	CF 29
14	अन्य विविध व्यय औजारो की मरम्मत व कय आदि	ल0स0		ल0स0	4754.37	
योग वनीकरण कार्य –					935000.00	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सबलगढ़ रेंज

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, बिजनौर

क्षेत्र का नाम– सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या–5797 , 10 प्रतिशत बीटिंगअप–580

क0स0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
ग– वनीकरण अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष :–						
1	क्षतिग्रस्त माउण्डो की मरम्मत	प्रति माउण्ड	580	28.75	16672	Local Rate
2	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	प्रति पौध	597	70.00	41790	CCFSF Letter No. 362
3	पौध ढुलान (10 कि0मी0 से 20 कि0मी0) 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	597	23	13731	CCFSF Letter No. 362
4	पौधो का स्थानीय ढुलान	प्रति पौध	580	7.8	4524	CCFSF Letter No. 362
5	पौधारोपण एक मीटर व्यास का थॉवला बनाई एंव तुरन्त सिचाई सहित कैरी बैग/बडा थैला 12 फुट ऊँची पौध हेतु	प्रति पौध	580	16.10	9338	CCFSF Letter No. 362
6	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु निर्माण की गई पत्थर बाडी के बाहर चारो तरफ क्षेत्र में 15 मी0 चौडाई तक भूमि कटाव हेतु बाईटैक्स एंव आईपोमियम की कंटिग लगाना मय कय	प्रति हजार	10000	1000.05	10001	C.F -16
7	रोपित पौधों की निराई–गुडाई एंव थावला बंदी कार्य तीर बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	17391	1.73	30086	C.F -67
8	रोपित पौधों की सिचांई कार्य वर्ष में 12 बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	69564	1.36	94607	C.F -17
9	पौधो की प्रुनिंग का कार्य करना वर्ष में 2 बार	प्रति पौध	11594	1.84	21333	CCFSF Letter No. 362
10	पौधो की सुरक्षा हेतु एक श्रमिक	प्रति मानव दिवस	312	230.00	71760	CF 27
11	अन्य विविध व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	1158	
	योग–				315000	

उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

क्षेत्रीय वनाधिकारी
10/12/18 वन

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे0 वनीकरण अनुरक्षण प्रथम वर्ष (100) पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम– सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या–5797 , 10 प्रतिशत बीटिंगअप–580

क0स0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
ग– वनीकरण अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष :–						
1	क्षतिग्रस्त माउण्डों की मरम्मत	प्रति माउण्ड	580	28.75	16672	Local Rate
2	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	प्रति पौध	597	70.00	41790	CCFSF Letter No. 362
3	पौध ढुलान (10 कि0मी0 से 20 कि0मी0) 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	597	23	13731	CCFSF Letter No. 362
4	पौधो का स्थानीय ढुलान	प्रति पौध	580	7.8	4524	CCFSF Letter No. 362
5	पौधारोपण एक मीटर व्यास का थॉवला बनाई एंव तुरन्त सिचाई सहित कैरी बैग/बडा थैला 12 फुट ऊँची पौध हेतु	प्रति पौध	580	16.10	9338	CCFSF Letter No. 362
6	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु निर्माण की गई पत्थर बाडी के बाहर चारो तरफ क्षेत्र में 15 मी0 चौडाई तक भूमि कटाव हेतु बाईटैक्स एंव आईपोमियम की कंटिग लगाना मय कय	प्रति हजार	10000	1000.05	10001	C.F -16
7	रोपित पौधों की निराई–गुडाई एंव थावला बंदी कार्य तीर बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	17391	1.73	30086	C.F -67
8	रोपित पौधों की सिचांई कार्य वर्ष में 12 बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	69564	1.36	94607	C.F -17
9	पौधों की प्रुनिंग का कार्य करना वर्ष में 2 बार	प्रति पौध	11594	1.84	21333	CCFSF Letter No. 362
10	पौधो की सुरक्षा हेतु एक श्रमिक	प्रति मानव दिवस	312	230.00	71760	CF 27
11	अन्य विविध व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	1158	
	योग–				315000	

उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

क्षेत्रीय वनाधिकारी
नजीबाबाद

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे0 वनीकरण अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (100 पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम– सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या–5797 , 5 प्रतिशत बीटिंगअप–290

क0स0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षतिग्रस्त माउण्डो की मरम्मत	प्रति माउण्ड	290	28.745	8336.05	LOCAL Rate
2	पौध का मूल्य 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	298	70.00	20860	CCFSF Letter No. 362
3	पौध ढुलान 10 कि0मी0 से 20 कि0मी0 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	298	23	6854	CCFSF Letter No. 362
4	पौध का स्थानीय ढुलान	प्रति पौध	290	7.8	2262	CCFSF Letter No. 362
5	पौधारोपण एक मीटर व्यास का थॉवला बनाई एंव तुरन्त सिचांई सहित कैरी बैग/बडा थैला 12 फुट ऊँची पौध हेतु	प्रति पौध	290	16.1	4669	Cf 16
6	रोपित पौधों की निराई–गुडाई एंव थावला बंदी कार्य तीन बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.43	Cf 17
7	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.52	CCFSF Letter No. 362
8	पौधों की प्रुनिंग का कार्य करना वर्ष में 2 बार	प्रति पौध	11594	2.3	26666.2	Cf 27
9	पौधों की सुरक्षा हेतु एक श्रमिक	प्रति मानव	78	230	17940	Cf 28
10	अन्य विविध व्यय	ल0स0			5022.8	
	योग–				170000	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सा0व0 रेंज

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे0 वनीकरण अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (1000 पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम– सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या–5797 , 5 प्रतिशत बीटिंगअप–290

क0स0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षतिग्रस्त माउण्डो की मरम्मत	प्रति माउण्ड	290	28.745	8336.05	LOCAL Rate
2	पौध का मूल्य 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	298	70.00	20860	CCFSF Letter No. 362
3	पौध ढुलान 10 कि0मी0 से 20 कि0मी0 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	298	23	6854	CCFSF Letter No. 362
4	पौध का स्थानीय ढुलान	प्रति पौध	290	7.8	2262	CCFSF Letter No. 362
5	पौधारोपण एक मीटर व्यास का थॉवला बनाई एंव तुरन्त सिचांई सहित कैरी बैग/बडा थैला 12 फुट ऊँची पौध हेतु	प्रति पौध	290	16.1	4669	Cf 16
6	रोपित पौधों की निराई–गुडाई एंव थावला बंदी कार्य तीन बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.43	Cf 17
7	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्यकतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.52	CCFSF Letter No. 362
8	पौधों की प्रुनिंग का कार्य करना वर्ष में 2 बार	प्रति पौध	11594	2.3	26666.2	Cf 27
9	पौधों की सुरक्षा हेतु एक श्रमिक	प्रति मानव	78	230	17940	Cf 28
10	अन्य विविध व्यय	ल0स0			5022.8	
	योग–				170000	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजगढ़ रेंज

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे0 वनीकरण अनुरक्षण तृतीय वर्ष 1100, पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम– सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या–5797 ,

क0स0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	रोपित पौधो की निराई–गुडाई का कार्य करना 3 बार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.4	C.F -17
2	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्कतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.5	CCFSF Letter No. 362
3	10 मीटर व्यास का थॉवला बनाकर उसमें 10 से0मी0 गहराई तक गुडाई कराकर प्रूनिंग एंव वानस्पतिक बेल/लताओं (क्लाईम्बर) की कटिंग कराया जाना	प्रति पौध	3562	11.5	40963	Cf 72
4	रोपित क्षेत्र में आग से बचाव हेतु फायर वाचर माह फरवरी से मार्च तक	प्रति मानव दिवस	45	230	10350	Cf 28
5	अन्य विविध व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	6297.05	L.S
	योग–				135000	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजगढ़ रेंज

उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे0 वनीकरण अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष (100.) पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम– सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या–5797 ,

क0स0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	रोपित पौधो की निराई–गुडाई का कार्य करना 3 बार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.4	C.F -17
2	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्कतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.5	CCFSF Letter No. 362
3	10 मीटर व्यास का थॉवला बनाकर उसमें 10 से0मी0 गहराई तक गुडाई कराकर प्रूनिंग एंव वानस्पतिक बेल/लताओं (क्लाईम्बर) की कटिंग कराया जाना	प्रति पौध	3562	11.5	40963	Cf 72
4	रोपित क्षेत्र में आग से बचाव हेतु फायर वाचर माह फरवरी से मार्च तक	प्रति मानव दिवस	45	230	10350	Cf 28
5	पथरबाडी मरम्मत आदि अधिकतम 5 प्रतिशत		40	732	29280	CCF CAMPA LETTER NO. 544
5	अन्य विविध व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	7017.05	L.S
	योग–				165000	

उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

क्षेत्रीय वनाधिकारी
नगीना रेंज

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

माडल प्राक्कलन बाबत 5.27 हे0 वनीकरण अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष (100%) पौध प्रति हेक्टर की दर से

क्षेत्र का नाम– सबलगढ 11

रोपित पौधो की संख्या–5797 ,

क0स0	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर की मद
1	2	3	4	5	6	7
1	रोपित पौधो की निराई–गुडाई का कार्य करना 3 बार	प्रति पौध	17391	1.73	30086.4	C.F -17
2	रोपित पौधों की सिचाई कार्य वर्ष में 6 बार आवश्कतानुसार	प्रति पौध	34782	1.36	47303.5	CCFSF Letter No. 362
3	10 मीटर व्यास का थॉवला बनाकर उसमें 10 से0मी0 गहराई तक गुडाई कराकर प्रूनिंग एंव वानस्पतिक बेल/लताओं (क्लाईम्बर) की कटिंग कराया जाना	प्रति पौध	3562	11.5	40963	Cf 72
4	रोपित क्षेत्र में आग से बचाव हेतु फायर वाचर माह फरवरी से मार्च तक	प्रति मानव दिवस	45	230	10350	Cf 28
5	पथरबाडी मरम्मत आदि अधिकतम 5 प्रतिशत		40	732	29280	CCF CAMPA LETTER NO. 544
5	अन्य विविध व्यय	ल0स0	ल0स0	ल0स0	7017.05	L.S
	योग–				165000	

उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

क्षेत्रीय वनाधिकारी
नजीबाबाद रेंज

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

सारांश

क0स0	चरण	वर्तमान दर से अनुसार वांछित धनराशि	10 प्रतिशत महंगाई दर के आधार पर गुणांक	प्रयोक्ता एजेंसी से वांछित धरराशि (कॉलम 3 गुणा 4)
1	2	3	4	5
1	प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)	690000	1	690000
2	द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)	935000	1.1	1028500
	वन रक्षक एंव वनविद चौकी निर्माण	1000000	1.1	999999
	सौलर वाटर पम्प का निर्माण	700000	1.1	699999
	पक्के वाटर होल का निर्माण मय सोलर पम्प	1300000	1.1	1299999
3	तृतीय चरण (अनुरक्षण प्रथम)	315000	1.21	381150
4	चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय)	170000	1.331	226270
5	पंचम चरण (अनुरक्षण तृतीय)	165000	1.4641	241577
6	षष्टम चरण (अनुरक्षण चतुर्थ)	165000	1.6105	265733
7	सप्तम चरण (अनुरक्षण पंचम)	165000	1.7716	292314
8	अष्टम चरण (अनुरक्षण षष्टम)	165000	1.9488	321552
9	नवमं चरण (अनुरक्षण सप्तम)	165000	2.1437	353711
10	दशम चरण (अनुरक्षण अष्टम)	165000	2.3481	387437
11	एकादशम चरण (अनुरक्षण नवम)	165000	2.5939	427994
12	द्वादशम चरण (अनुरक्षण दशम)	165000	2.8533	470795
				8087027
			या	8090000

क्षेत्रीय वनाधिकारी
नजीबाबाद रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

VILLAGE- SABALGARH TEHSIL- NAJIBABAD KHASRA NO. 1215घ DISTRICT- BIJNOR

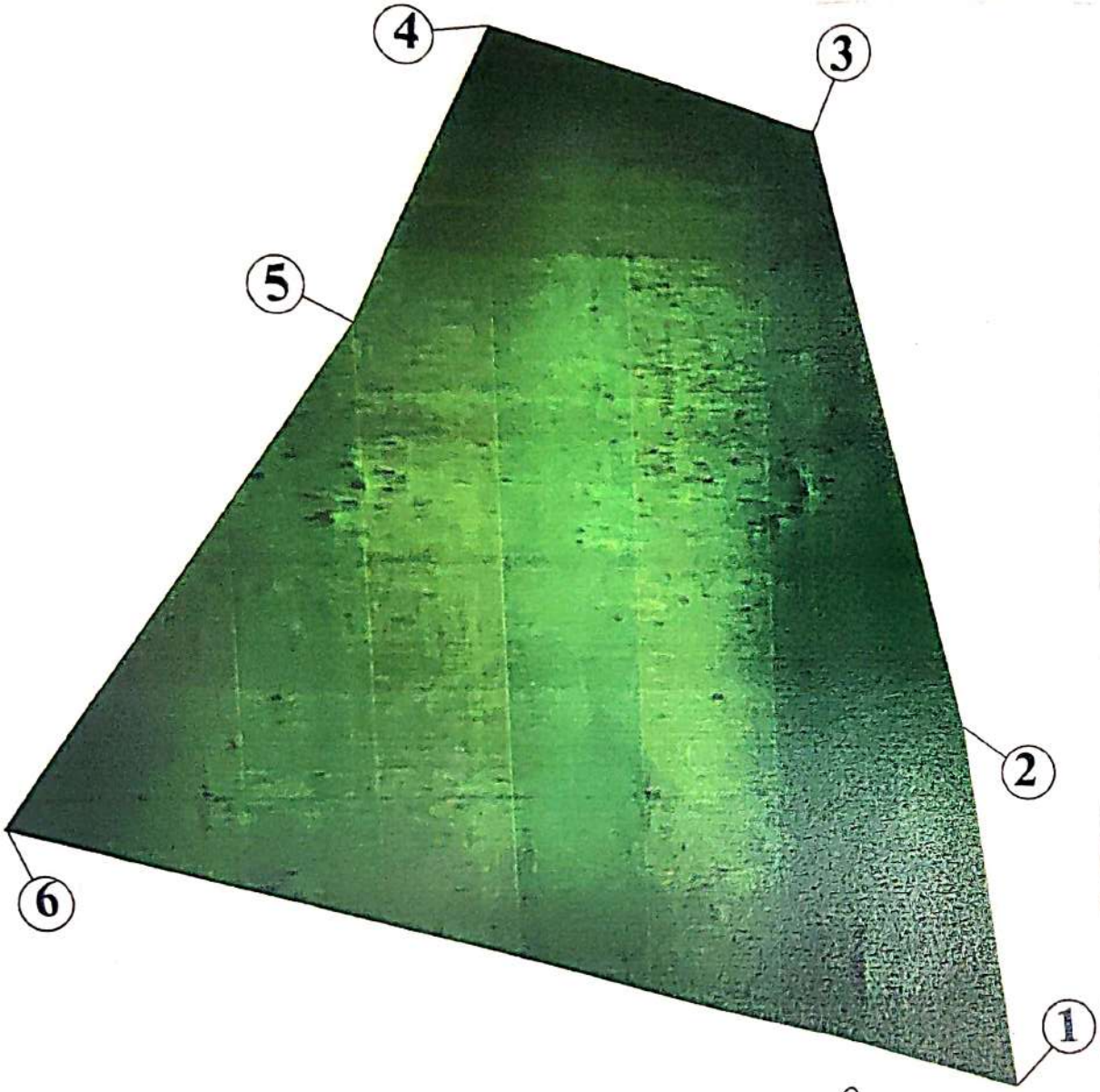

Sabalgarh (Area 5.27 Ha)		
Sr.No.	Co-ordinate	
	Lattitude	Longitude
1	29°42'48.40"N	78°12'35.40"E
2	29°42'51.70"N	78°12'34.70"E
3	29°42'57.50"N	78°12'32.90"E
4	29°42'58.10"N	78°12'29.50"E
5	29°42'55.40"N	78°12'28.20"E
6	29°42'50.70"N	78°12'24.30"E

क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजगढ़ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

SA Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. India

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

परियोजना निदेशक /Project Director
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NON FOREST FOR CA LAND	NAJIBABAD FOREST DIVISION	CLIENT: NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India) PROJECT: Construction of 4-lanes of Kundar stretch of NH-419 connecting Najibabad-Kiratpur to Kandwar-Pawwan in the state of Uttar Pradesh and Lot-4 Package-2 from Ch [illegible] to [illegible] under forest division Najibabad.	DRAWING TITLE: DGPS MAP	DRAWING NO: DATE: SCALE: NOR: 1:2000, VER: 1:200 DESIGNED(A) DRAWN(A) CHECKED(A) SHEET APPROVED(A)

Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauriroad in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2 from Ch 0+000 to 5+900 under forest division Najibabad

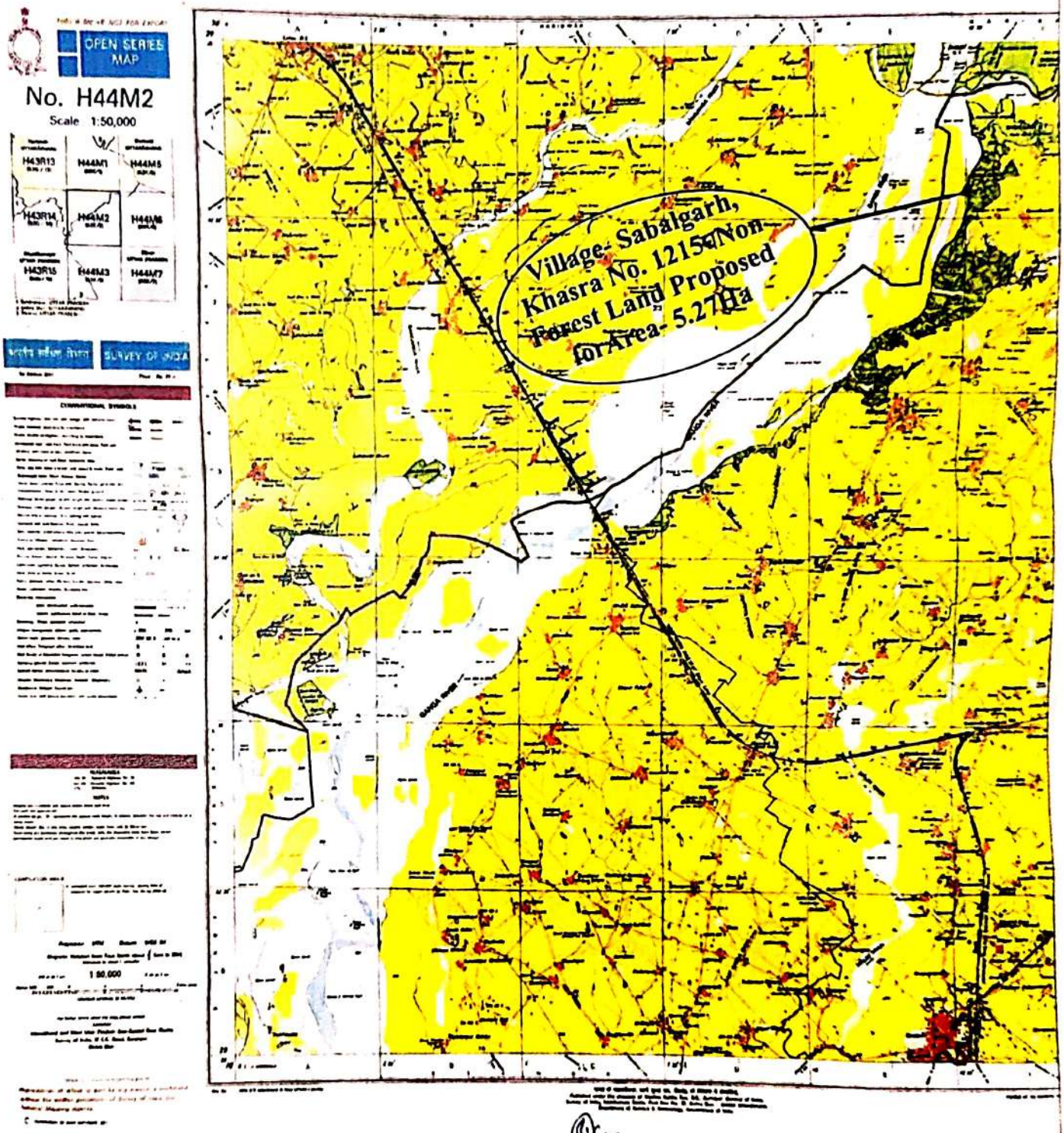

क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजगढ़ रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

(4)

(5)

Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pckage-2 from Ch. 0 + 000 to 5+900 under forest division Najibabad. Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022"LAND.

File No. :- FP/UP/ROAD/ 157011/2022"LAND

Date of Proposal:- 20-06-2024

"LAND SUITABILITY CERTIFICATE BY DFO (T)"

This is to certify that 5.27 ha. or (5797 trees planted) Forest Department Land bearing survey no. 1, Sabalgarh Forest Block, Range Rajgarh , Tehsil Najibabad], Distt.- Bijnor , identified for compensatory afforestation is suitable for plantation with reclaimation , and is free from encroachments.

Divisional Forest Officer,
Bijnor Forest Division ,
Najibabad

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

10 पातन होने वाले वृक्षों का व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची एवं सारांश / गोशवारा ।

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Tectona Grandis	Sagwan	65	218	258	116	33	8
2	Cassia Fistula	Amaltas	3	17	15	7	1	2
3	Eucalyptus	Lyptus	0	3	14	10	7	6
4	Butea Monosperma	Dhak	0	0	0	0	0	3
5	Aegle Marmelos	Bel	0	2	0	0	1	0
6	Terminalia Bellarica	Bheda	0	0	0	0	0	4
7	Holoptelia integrifolia	Kanju	0	2	1	0	1	1
8	Bombax Ceiba	Semal	0	0	0	0	0	11
9	Aegle Marmelos	Jeegan	0	0	0	0	1	1
10	Zizyphus Jujuba	Beri	1	0	0	0	0	0
11	Acacia Catechu	Khair	0	5	13	13	2	3
12	Dalburgia Sisoo	Shisham	0	1	3	6	1	0
13	Albezzia Labbeck	Siras	0	0	0	0	4	0
14	Ailanthus excelsa	Elaanthas	0	0	0	1	12	17
15	Tectona Grandis	Kat Sagaun	12	31	6	4	0	0
16	Others	Gutel	0	0	0	0	0	1
17	Others	Kokat	4	26	18	11	10	15
18	Others	Rohini	3	61	75	45	16	7
	Total		88	366	403	213	89	79

Sub Total (No of Trees.) = 1238

क्षेत्रीय वनाधिकारी,
कौड़िया

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

(5)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली भांति निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नही गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होगें।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजमार्ग रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण
परियोजना कियान्वयन इकाई–नजीबाबाद।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

गैर वन भूमि का उपयुक्ता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि (ग्राम सबलगढ़, तहसील नजीबाबाद की गाटा संख्या 1215घ कुल क्षेत्रफल 17.9560हे0 में से 5.27 हे0) निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है, एवं इसका शासनादेश संख्या–VIP– 23/14–2–2019–190 जी/2018 दिनोंक 28.06.2019 के प्रस्तर 2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया हैं।

उप जिलाधिकारी
नजीबाबाद

उपजिलाधिकारी
नजीबाबाद

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0), उ0प्र0, लखनऊ।

(वेबसाईट–www.upforest.gov.in, ई मेल–npccfit-up@nic.in, फोन न0–0522–2716619)

पत्रांक– 026 / 12–42–2 (जी0आई0एरा0), लखनऊ, दिनांक, जुलाई, 19, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद।

विषय– **Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 Connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh Under Bharatmala Pariyojana Lot 4/Pckage-2 from Ch. 0+000 to 5+900 Under forest division Najibabad Online Proposal No.FP/UP/Road/157011/2022**

संदर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक–104/6–1 दिनांक, नजीबाबाद, जुलाई, 08, 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक् संदर्भित पत्र के कम में DSS Analysis के लिए प्रेषित जिओ कोआर्डिनेट/पॉलिगान के विश्लेषण फलस्वरूप उपरोक्त पॉलिगान का निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

State- Uttar Pradesh

Analysis on the basis of Decision Rule-1 on DSS Portal for proposal for Diversion of 5.27 ha of Bijnor Forest Division, Najibabad

Sl No.	Range	CA_ Land_ Name	Net Area_ Ha	GIS Area_ Ha	Hydrological Layer ((The polygon does not touch any major river, Wetland or Water Body)	VDF (>1sq km) (The polygon is not having a VDF of more than 1 sq. km area)	Last Remnant of FTM (<50 sq. km) (The polygon is not having a rare forest type)	Protected Area (The polygon does not touch any Protected Area)	Wild life Habitat (The polygon does not touch any Wildlife Habitat.)	Overlapping on Previous Plantation The Polygon not touch any previous year plantation	Outside Forest Block Boundary Status	Conclusion
1	Rajgarh	Sabalgarh Van Block	5.27	5.27	No	Open Forest (10-40)%	No	No	No	No	No	Not Inviolate
Total Area		5.27										

* As per the requisition portal total Open Forest (10-40)% is given 5.27 Hac. & after analysis the GIS area is 5.27 Hac.

संलग्नकः–मानचित्र एवं विवरण जी0आई0एस0 103667 के सापेक्ष पोर्टल पर अपलोड।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director
Social Foresty Division
BIJNOR

OPPO Reno8

DSS ANALYSIS MAP OF PROPOSED COMPENSATORY AFFORESTATION LAND FOR PLANTATION IN SABALGARH FOREST BLOCK OF RAJGARH RANGE,NAJIBABAD FOREST DIVISION, UTTAR PRADESH

Satellite Image (LISS IV) -Nov,2019

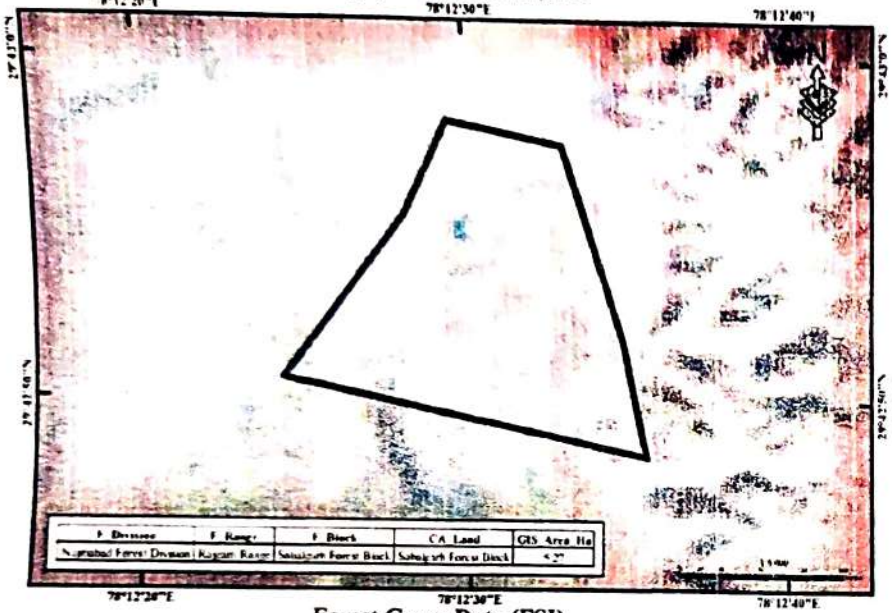

Google Satellite Image

Forest Cover Data (FSI)

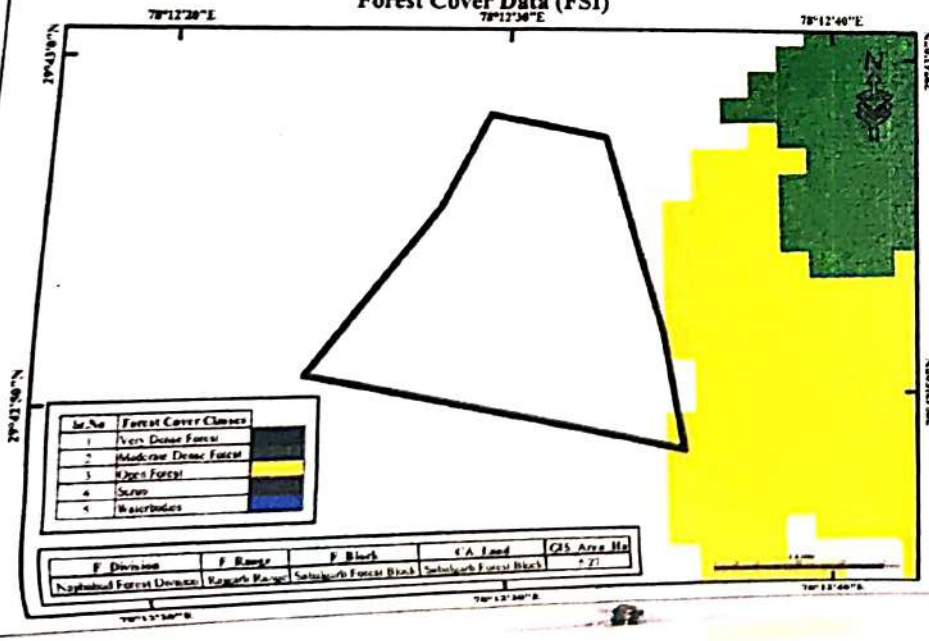

Forest Cover Data (GIS LAB)

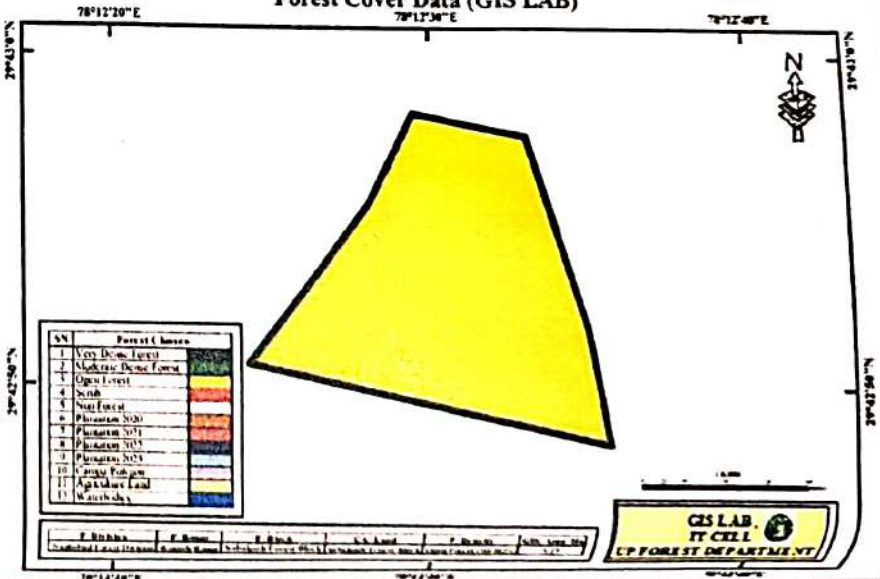

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी
वानिकी एवं उद्यान, नजीबाबाद

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेपरियोजना से 10 किमी0 की परिधि / ESZ से सम्बन्धित सेन्चुरी / वन्य जीव विहार 10 किमी0 से बाहर है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
राजगढ़

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।
पत्रांक 104 /6–1दिनॉक नजीबाबाद 8 जुलाई,2024।

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(आई0टी0)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषयः– Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH -119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot - 4/Pckage-2 from Ch. 0 + 000 to 5+900 under forest division Najibabad. Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम मे अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव प्रवेश पोर्टल पर भरा जाना है जिसके हेतु उपरोक्त प्रस्ताव की DSS Analysis Report की आवश्यकता है।

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्ताव की DSS Analysis Report तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें जिसका विवरण निम्न प्रकार है: –

क0 सं0	वृत्त/ मण्डल का नाम	वन प्रभाग का नाम	चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वन भूमि के रेंज का नाम	चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वन भूमि के वन ब्लॉक एंव कम्पार्टमेंट का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि का सकल क्षेत्रफल (हे0में)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि का शुद्ध क्षेत्रफल (हे0में)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि के मध्य बिन्दु का Geo Coordinates
1	मुरादाबाद	बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	राजगढ़	सबलगढ़ वन ब्लॉक	5.27	5.27	N29 42 48.40 E78 12 35.40
2							N29 42 51.70 E78 12 34.70
3							N29 42 57.50 E78 12 32.90
4							N29 42 58.10 E78 12 29.50
5							N29 42 55.40 E78 12 28.20
6							N29 42 50.70 E78 12 24.30

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

संख्या 104 /6–1दिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

संख्या 104 /6–1दिनांकित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय वनाधिकारी, राजगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद